



संज्ञा.नं० ए.सं. प्र.सं./ए.सं. पी. 589

लाइसेंस. नं० ए.सं. पी. 48

लाइसेंस. नं० ए.सं. पी. 48

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार 31 अगस्त, 1994

भाद्रपद 9, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1329/सजह-वि-1--1 (क)-28-1994

लखनऊ 31 अगस्त 1994

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक 1994 पर दिनांक 27 अगस्त 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की मूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1994

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1994]

(जैसा, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 9 जून, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16 सन् 1964 के शीर्षक का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक अधिनियम, 1964 में, जिसे प्रागे मूल अधिनियम कहा गया है, वहाँ शीर्षक में शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "सहकारी ग्राम विकास बैंक" रख दिये जायेंगे।

अस्तित्वना का संशोधन

3--मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक" और शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" के स्थान पर शब्द "सहकारी ग्राम विकास बैंक" रख दिये जायेंगे।

विभिन्न धाराओं का संशोधन

4--मूल अधिनियम की किसी भी धारा में, जहाँ कहीं भी,—

(क) शब्द "सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" या उनके व्याकरणिक रूप में अर्थ आये हों, उनके स्थान पर यथास्थिति, शब्द "सहकारी ग्राम विकास बैंक" या उनके तत्समान व्याकरणिक रूप में रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक" रख दिये जायेंगे;

(ग) शब्द "कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" या उनके व्याकरणिक रूप में अर्थ आये हों, उनके स्थान पर, यथास्थिति, शब्द "ग्राम विकास बैंक" या उनके तत्समान व्याकरणिक रूप में रख दिये जायेंगे;

(घ) शब्द "उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 28-क का जहाया जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 28 के परन्तु निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"28-क (1) उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से, किसी विधि या परिचयित संलेख में—

(संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ होने के परन्तु ग्राम्य अधिनियमों में बैंक के लिए किया गया अधिवेश किस प्रकार समझा जायेगा

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया कोई अधिवेश उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के लिए किया गया अधिवेश समझा जायेगा,

(ख) राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया कोई अधिवेश उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया अधिवेश समझा जायेगा।

(ग) किसी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया कोई अधिवेश ग्राम विकास बैंक के लिए किया गया अधिवेश समझा जायेगा,

(घ) किसी सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया कोई अधिवेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के लिए किया गया अधिवेश समझा जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक की तिथिसे उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक तथा कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक का नाम, समझा, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक तथा ग्राम विकास बैंक के रूप में निष्पक्षक द्वारा लिखित आदेश द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा और ऐसे बैंक, या मूल प्रमाण-पत्र और उप-विधियाँ तदनुसार संशोधित हो जायेंगी और निष्पक्षक के आदेश से किया गया ऐसा नाम परिवर्तन उत्तर प्रदेश सहकारी सशक्ति अधिनियम, 1965 के अधिनियम के द्वारा समझा रूप से परिवर्तित किया गया समझा जायेगा।

(3) जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के नाम में कोई दण्डक सीधे निष्पादित किया जाय, वहाँ धारा 14, 20, 22, 23, 26 और 27 में ग्राम विकास बैंक के लिये किये गये सभी अधिवेश उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के लिये किये गये अधिवेश समझे जायेंगे।

6--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

निरस्त और
अध्यादेश

(2) ऐसे निरस्तन के होते हुए भी, अध्यादेश (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जावेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी संशोधन समय पर प्रवृत्त थे।

अज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

No. 1329 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 28/1994

Dated Lucknow, August 31, 1994

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 343 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank (Saushodhan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniya n Sankhya 19 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 1994.

THE UTTAR PRADESH SAHKARI KRISHI EVAM GRAMYA VIKAS BANKS (AMENDMENT) ACT, 1994

[U.P. ACT No. 19 OF 1994]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Banks Act, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows:

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Banks (Amendment) Act, 1994.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on Jan 9, 1994.

In the long title of the Uttar Pradesh Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Banks Act, 1964, hereinafter referred to as the principal Act, for the words "Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Banks" the words "Sahkari Gram Vikas Banks" shall be substituted.

Amendment of long title of U. P. Act No. XVI of 1964

3. In the preamble of the principal Act, for the words "Uttar Pradesh Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank" the words "Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank" and for the words "Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Banks" the words "Sahkari Gram Vikas Banks" shall be substituted.

Amendment of preamble

4. Wherever in any section of the principal Act—

Amendment of various sections

(a) the words "Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank" or its grammatical variation occurs the words "Sahkari Gram Vikas Bank" or its corresponding grammatical variation, as the case may be, shall be substituted;

(b) the words "Rajya Krishi Evam Gramya Vikas Bank" occurs, the words "Uttar Pradesh Gram Vikas Bank" shall be substituted;

(c) the words "Krishi Evam Gramya Vikas Bank" or its grammatical variation occurs the words "Gram Vikas Bank" or its corresponding grammatical variation, as the case may be, shall be substituted;

(d) the words "Uttar Pradesh Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank" occur, the words "Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank" shall be substituted.

Insertion of
new section
28-A

5. After Section 28 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“28-A. (1) With effect from the commencement of the Uttar Pradesh Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Banks (Amendment) Act, 1994, any reference in any law or statutory instrument—
References to banks in other Acts now construed after the commencement of the Uttar Pradesh Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Banks (Amendment) Act, 1994

(a) to the Uttar Pradesh Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank shall be construed as a reference to the Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank,

(b) to the Rajya Krishi Evam Gramya Vikas Bank shall be construed as a reference to the Uttar Pradesh Gram Vikas Bank,

(c) to a Krishi Evam Gramya Vikas Bank shall be construed as a reference to a Gram Vikas Bank,

(d) to a Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank shall be construed as a reference to a Sahkari Gramya Vikas Bank.

(2) The names of the “Uttar Pradesh Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank” and “Krishi Evam Gramya Vikas Bank” existing on the date of commencement of the Uttar Pradesh Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Banks (Amendment) Act, 1994 shall be changed respectively as the “Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank”, and “Gram Vikas Bank” by the Registrar by order in writing and the original certificate and bye-laws of such bank shall stand amended accordingly and such change of name, made under order of the Registrar, be deemed to be a change of name duly effected by the society under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

(3) Where a mortgage is executed by a person directly in favour of the Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank, all references to Gram Vikas Bank in Sections 14, 20, 22, 23, 26 and 27 shall be deemed to be references to the Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Bank.”

Repeal and
savings-

6. (1) The Uttar Pradesh Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Banks (Amendment) Ordinance, 1994 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

G.P.O.
dinsar
no.9 of
1994